उ0 प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ, लखनऊ
कर्मचारी सेवा विनियमावली – 1995
अध्याय–1

नाम, प्रारम्भ, प्रवोच्क्षता, परिभाषा तथा प्रतिनिधायन

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रवोच्क्षता**

(1) यह विनियमावली उ0 प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ, कर्मचारी सेवा विनियमावली–1995 कहलायेगी।

(2) यह विनियमावली दिनांक 01.01.1995 से प्रभावी होगी।

(3) यह विनियमावली उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के सभी कर्मचारियों, उन कर्मचारियों को छोड़कर जो संघ में प्रतिनियुक्ति पर या अनुबंध पर कार्यरत है और जिनकी सेवा शर्त एवं प्रतिबंध उनके प्रतिनियुक्तियां अनुबंध के अनुसार जैसी भी स्थिति हो, पर लागू होगी।

2. **परिभाषायें**

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में।

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय–समय पर क्या संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संघ 11, 1965) से है।

(2) ''नियमावली'' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 से है।

(3) ''उपविधि'' का तात्पर्य उ0 प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ, लखनऊ के तत्समय प्रचलित निबंधित उपविधि से है।

(4) ''संघ'' का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। (उप कार्यालय जो भविष्य में प्रदेश के अन्य नगरों पर स्थापित होगी सहित) से है।

(5) ''कर्मचारी आचार संहिता'' का तात्पर्य इस विनियमावली के अध्याय (6) के अंतर्गत दिये गये विनियमों से है।

(6) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संघ की पूर्णकालिक सेवा में हो किन्तु इसके अंतर्गत संघ में दैनिक मजदूरी पर सेवायोजित आकस्मिक कर्मकार, किसी विशिष्ट उद्देश्य या समय विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति या अंशकालिक सेवा में सेवायोजित व्यक्ति नहीं है।

(7) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य संघ की प्रबन्ध समिति या किसी अन्य प्राधिकारी से है जो संघ के नियमों के अधीन नियुक्त करने के लिए सशक्त हो।

(8) ''वेतन'' का तात्पर्य मासिक मूल वेतन से है।

(9) ''औसत वेतन'' का तात्पर्य किसी भी माह के लिए उसके ठीक पूर्व पूरे तीन मास के दौरान औसत अर्जित मासिक वेतन से है।

(10) ''निरन्तर सेवा'' का तात्पर्य अविच्छिन सेवा से है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी सेवा भी है वो किसी प्राधिकृत छुट्टी के कारण या प्रभाव प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपस्थित की जाने योग्य किसी अन्य अनुपस्थिति के कारण विछिन्न हो।

(11) ''निबन्धक'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–3 की उपधारा–2 के अधीन निबन्धक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(12) ''छटनी'' का तात्पर्य अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में की गयी सजा से भिन्न किसी भी अन्य कारण से संघ द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति से है, किन्तु इसके अंतर्गत सेवा निवृत्त या पद त्याग के कारण सेवा की समाप्ति नहीं है।

(13) ''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संघ के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(14) ''प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य संघ की प्रबन्ध समिति से है, जो संघ के उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार गठित हुई हो।

(15) ''दुराचरण'' का तात्पर्य कर्मचारी के कुकृत्य या चूक से है जैसा कि इस नियमावली में विस्तृत है।

(16) ''भर्ती वर्ष'' का तात्पर्य अप्रैल मास के पहले दिवस से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(17) ''मौलिक पद'' का तात्पर्य उस पद से है जिसे संघ की प्रबन्ध समिति द्वारा यथा विधि सृजित किया गया हो। किन्तु ऐसा पद जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य या समय विशेष के लिए सृजित किया गया हो एवं उद्देश्य या समय के पूरा हो जाने पर जिसके समाप्त हो जाने की संभावना ही मौलिक पद नहीं होगा।

टिप्पणी –

इस विनियमावली में परिवर्तन/संशोधन संघ की प्रबन्ध समिति के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा। विनियमावली के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय या बिन्दु पर प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

इस विनियमावली में प्रस्तुत अपरिभाषित, किन्तु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा तद्धीन बनी नियमावली 1968 एवं उप नियमावली में परिभाषित सभी शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम, नियमावली एवं उप नियमावली में उनके लिये दिये गये है।

अध्याय–2

3. संघ का गठन

(क) संघ के समस्त कार्मिक प्रबन्धन, प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विपणन एवं उपार्जन लिपिकीय, ड्राईवर तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्गो में संगठित किये जायेंगे। प्रत्येक संवर्ग की सदस्य संख्या तथा संवर्ग के अधीन प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी कार्यो की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए संघ की प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(ख) जब तक की विनिमय 3 (क) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें प्रत्येक संवर्ग की सदस्य संख्या और संवर्ग के अधीन प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–1 में दी गयी है।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या उसे अस्थगित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

4. भर्ती श्रोत

किसी भी भर्ती वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को क्या परिशिष्ट–1 में प्राविधानित है,

(क) प्रबन्धन संवर्ग में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(ख) प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विपणन एवं उपार्जन सवंगों में वरिष्ठ प्रबन्धक एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(ग) लिपिकीय संवर्ग में ग्रेड–3 के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी एवं लिपिक/टंकण के पद को 85 प्रतिशत शीधी भर्ती एवं 15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(घ) ड्राईवर एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्गो में ग्रेड–2 के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(ङ) प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विपणन एवं उर्पाजन, लिपिकीय, ड्राईवर एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्गो के निम्नतम एवं उक्त कथित वेतनमानों को छोड़कर शेष सभी वेतनमानों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(च) प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विपणन एवं उर्पाजन–संवर्गो के निम्नतम वेतनमान में 65 प्रतिशत शीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति एवं 35 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(छ) चतुर्थ श्रेणी एवं ड्राईवर संवर्ग के न्यूनतम वेतनमान में शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की जायेगी।

स्पष्टीकरण : किसी भी भर्ती वर्ष में प्राविधानित किसी भर्ती श्रोत से पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रबन्ध समिति द्वारा भर्ती श्रोतों को परस्पर बदला जा सकता है।

5. **राष्ट्रीयता**

संघ में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्वी तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उ0 प्र0 से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उर्पयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे संघ में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय और उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

6. **कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता**

सभी पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आयु सीमा तथा वास्तविक अनुभव आदि परिशिष्ट–1 के अनुसार होगा जिसे समय–समय पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पर संशोधित/पुनरिक्षित किया जायेगा।

7. **आरक्षण**

भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगा।

8. **नियुक्ति का प्रतिशेध**

(1) ऐसा व्यक्ति जो सरकारी या अधिनियम के अधीन किसी निबंधित समिति या निबंधित समझी गयी समिति की सेवा या किसी नियमित निकाय की सेवा से पदच्यूत दिये गये हो, संघ में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो और ऐसी स्त्री जो उस व्यक्ति से विवाहित हो जिसके एक से अधिक पत्नियां हो, संघ में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

(3) ऐसा व्यक्ति जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का नजदीकी रिश्तेदार हो।

9. **भर्ती आय् में छूट**

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतम आयु सीमा वही होगी जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिये निर्धारित की जायेगी।

(ख) विभागीय कर्मचारियों और तकनीकी तथा अनुभवी व्यक्तियों के लिये जिन पदों पर संघ के हित में नियुक्ति की जानी आवश्यक हो, प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त पद के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

(ग) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व संघ में तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की सीमा तक छूट दी जा सकती है।

अधिकतम आयु सीमा प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों तथा संघ के छटनी शुदा कर्मचारियों को संघ में पुनः सेवा में नियुक्ति के लिये लागू न होगी।

10. **<u>सीधी भर्ती की प्रक्रिया</u>**

(क) पर्यवेक्षक एवं उसमें उच्च पद पर सीधी भर्ती निम्न श्रोतो से की जायेगी :

1. पदों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति कर आवेदन–पत्र मंगाकर चयन के माध्यम से।
2. कैम्पस साक्षात्कार।

(ख) पर्यवेक्षक से निम्न पद भर्ती के लिए स्थानीय सेवायोजन कार्यालय को सूचित कर पात्र अभ्यर्थियों के नाम मांगे जायेंगे।

सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं पाये जाने की दशा में इन पदों को भी विज्ञप्ति कर आवेदन–पत्र मंगाये जाये।

(ग) अध्ययन के अलावा आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदों को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या उपक्रम या किसी स्थानीय निधि का प्रबन्ध करने वाले नियमित निकाय के अधीन सेवायोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकता है।

(घ) सीधी भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के पश्चात प्रत्येक रिक्तियों के समक्ष सामान्यतः पाँच सबसे अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों को पात्राचार में बुलाये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि पात्र अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की अपेक्षा काफी ज्यादा है उस स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए न्यूनतम योग्यता को बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) कार्य की आवश्यकतानुसार पदों को भरने के लिए निम्नलिखित चयन विधि अपनायी जायेगी।

1. लिखित परीक्षा
2. ट्रेड टेस्ट
3. समूह चर्चा
4. साक्षात्कार

(च) **<u>चयन समिति</u>** :

(I) संघ में प्रबन्धक एवं उसमें उच्च स्तर के वेतनमानों में चयन नियमानुसार गठित चयन समिति की संस्तुति पर किया जायेगा।

1. संघ का अध्यक्ष
2. संघ का प्रबन्ध निदेशक
3. निबन्धक, औद्यानिक सहकारी समितियां
4. वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन का संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी
5. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन का संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी
6. अध्यक्ष द्वारा नामित किसी विख्यात संस्था का मूल्य अधिकारी/विशिष्ट व्यक्ति/संवर्ग/सलाहकार
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि

उपरोक्त समिति का अध्यक्ष संघ का अध्यक्ष होगा।

(II) प्रबन्ध से निम्न स्तर के वेतनमानों में चयन निम्नानुसार गठित चयन समिति की संस्तुति पर किया जायेगा।

1. संघ का प्रबन्ध निदेशक
2. निबन्धक, औद्यानिक सहकारी समितियां
3. संघ का महाप्रबन्धक

4. प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित किसी विख्यात संस्था का मुख्य अधिकारी या उसका प्रतिनिधि/विशिष्ट व्यक्ति/संवर्ग विशेषज्ञ
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि

उपरोक्त समिति का अध्यक्ष संघ का प्रबन्ध निदेशक होगा।

(छ) चयन समिति की संस्तुति को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल नियुक्ति प्राधिकारी के स्वीकृति के दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए प्रभावी रहेगा।

11. **नियुक्ति प्राधिकारी**

अधिशासी एवं इसमे उच्च पदों में नियुक्ति के लिए संघ का प्रबन्ध समिति नियुक्ति प्राधिकारी होगा एवं अधिशासी से निम्न पदों में विज्ञप्ति के लिए संघ का प्रबन्ध निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(क) किसी भी भर्ती वर्ष में विभिन्न संवर्गो में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए चयन परिशिष्ट–1 में निर्धारित चयन के आधार पर निर्धारित अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करते हुए किया जायेगा।

(ख) पदोन्नति के लिए चयन हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा।

प्रबन्धक एवं इससे उच्च स्तर के लिए

1. संघ का अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक
3. अध्यक्ष द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का दो सदस्य

प्रबन्धक से निम्न स्तर के लिए

1. प्रबन्ध निदेशक
2. अध्यक्ष द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का दो सदस्य
3. संघ प्रबन्धक

(ग) पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरे जाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती वर्ष में पात्र कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु उपयुक्तता पर विचार करने के लिए बैठेगी।

(घ) विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष पात्र कर्मचारियों का सम्पूर्ण सेवा वितरण एवं सामान्यतः पिछले 05 वर्ष की चरित्र पंजिका प्रस्तुत की जायेगी। आवश्यकतानुसार समिति संपूर्ण सेवा काल की चरित्र पंजिका पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(ङ) पदोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संस्तुत कर्मचारियों को आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नति दी जायेगी।

13. **संयुक्त चयन सूची**

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी। जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेगे कि वांछित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

14. **नियुक्ति**

संघ की सेवा में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिनांक की घोषणा करेगा जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र में प्रविष्ट जन्म दिनांक से भिन्न नहीं होगी, और उसके न होने पर, आयु के प्रयोजनार्थ तत्समान विधिमान्य समझे गये किसी अन्य लेख से भिन्न नहीं होगा। साक्षर कर्मचारी वर्ग की दशा में कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में उनका जन्म दिनांक उनके हाथ की लिखित से प्रविष्ट किया जायेगा। अशिक्षित कर्मचारियों की दशा में, घोषित जन्म दिनांक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा और संघ के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसका साक्ष्य किया जायेगा। इस घोषणा की एक सही प्रतिलिपि प्राप्त अभिस्वीकृति के अंतर्गत सम्बद्ध कर्मचारी को प्रेषित की जायेगी।

15. नियुक्ति के लिये चयन किये गये प्रत्येक व्यक्ति से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, निम्नलिखित को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी :

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन या पी0एम0एस0 चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाणपत्र जैसा संघ अपेक्षा करे, प्रतिबंध यह है कि ऐसा प्रमाण पत्र किसी ऐसे व्यक्ति को देना आवश्यक नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाये या जिसका पदोन्नति द्वारा चयन किया जाये और जो अपनी पहली नियुक्ति पर पहले ही स्वस्थता का प्रमाणपत्र दे चुका हो।

(ख) दो राज्यपत्रित अधिकारियों से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक घोषणा पत्र कि वह अविवाहित है या यदि विवाहित है तो उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है।

नियुक्ति के प्रस्ताव में इस आशय की शर्ते दी होंगी।

16. वहां नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जायें, उस मामलें के सिवाय, समस्त प्रथम नियुक्तियां उस वेतन श्रेणी के जिसमें नियुक्ति की जाये, न्यूनतम वेतन पर होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से पद के लिये विशेष अर्हतायें रखने वाले व्यक्ति को उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जा माना है।

17. **परिवीक्षा**

(1) मौलिक पदों के प्रति सीधी भर्ती द्वारा प्रथम नियुक्ति पर समस्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्ति विशेष के मामले में परिवीक्षावधि को जितनी वह उचित समझे ऐसे अग्रेतर अवधि के को एक वर्ष में अनाधिक हो, बढ़ा सकता है।

स्पष्टीकरण :

(1) यदि परिवीक्षावधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षावधि के दौरान किसी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत हो कि परिवीक्षा पर रखे गये व्यक्ति ने दिये गये अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व उसके द्वारा मूल रूप से घृत पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) खण्ड 1 के अधीन परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में सेवा मुक्त व्यक्ति को तब तक कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उसके मामले में लागू किसी विधि से आज्ञापक उपबंधो के अधीन उसके लिये हकदार न हो।

18. **स्थायीकरण**

प्रबन्ध निदेशक किसी कर्मचारी को परिवीक्षा की संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात स्थायी कर देगा, यदि उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय एवं पद मौलिक हो।

19. **स्थानांतरण**

संघ के किसी कर्मचारी का स्थानांतरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर स्थित संघ की किसी इकाई/कार्यालय में किसी भी समय किया जा सकेगा। उक्त इकाई/कार्यालय में संबंधित कर्मचारी को अवकाश संबंधी तथा अन्य सुविधायें वहीं मिलेगी जो वहाँ पर समकक्ष पद पर कार्यरत कर्मचारियों को देय है।

20. **सेवा समाप्ति**

किसी कर्मचारी की सेवायें निम्नलिखित रीति से समाप्त होगी :–

(क) विनियम 18 के अनुसार किसी स्थायी न किये गये कर्मचारी की दशा में, किसी भी ओर से एक महीने की लिखित नोटिस देकर या उसके बदले में नोटिस देने वाले पक्ष द्वारा एक मास के वेतन का भुगतान करके।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशिष्ट अवधि के लिये की गयी सीधी नियुक्ति की दशा में, कोई नोटिस देने या उसके बदले में किसी वेतन का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) विनिमय 18 के अनुसार किसी स्थायीकृत कर्मचारी की दशा में, किसी भी ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर।

स्पष्टीकरण :

(1) विनियम 20 के आधीन किसी कर्मचारी द्वारा दी गयी नोटिस तभी समुचित समझी जायेगी जब वह नोटिस की अवधि में कार्यरत रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर्मचारी को, अनुरोध करने पर उसे देय उपार्जित अवकाश के उस भाग को, जो नोटिस की अवधि से अधिक न हो, उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) इस विनियम में प्रयुक्त पद ''मास'' 30 दिन की अवधि होगी, जो उस दिनांक के जब यथास्थिति कर्मचारी की नोटिस प्राप्त की जाये, ठीक बाद के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

21. यदि कोई कर्मचारी जिसे उसके पद के छटनी किये जाने के कारण नोटिस तामील की गयी हो, उसे प्रस्थापित किये गये किसी निम्न श्रेणी के पद को स्वीकार करें तो निम्न पद पर उसके वेतन तथा ज्येष्ठता निर्धारण करने के लिये उसके द्वारा उच्चतर पद पर की गयी सेवाओं की गणना की जायेगी।

22. संघ की ओर से सेवा समाप्ति की नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

23. यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि कोई कर्मचारी उसके सेवा योजन से प्रोदभूत तथा उसके सेवायोजन के दौरान हुई किसी शारीरिक क्षति के कारण कर्तव्य का पालन करने के लिये अशक्त या असमर्थ है तो संघ किसी अन्य धनराशि तो उसके वेतन या अन्य आय या भत्ते आदि के कारण उसे देय हो, के भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सेवायें समाप्त कर देगी और कर्मचारी को प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपलब्धों के अधीन ऐसे प्रतिकर पर भुगतान करेगी, जो ऐसे कर्मचारी को अनुमन्य हो।

24. जब संघ की आर्थिक स्थिति इस सीमा तक खराब हो गई हो कि संघ प्रबन्ध समिति की राय में पद के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों का खर्च आगे वहन न कर सके, तो संघ प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से ऐसे पद की या तो श्रेणी निम्न कर सकती है या उस पद को पूर्णकालिक पद में परिवर्तित कर अंशकालिक पद बना सकती है या उसे पूर्णतया उत्सादित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि :

(क) पद की श्रेणी (रैंक) कम किये जाने या पूर्णकालिक पद से अंशकालिक पद में परिवर्तित किये जाने की स्थिति में उसके पदधारी को, यदि व विनिमय 18 के अनुसार स्थायीकृत नहीं है, तो लिखित रूप से एक मास का नोटिस और यदि वह विनिमय 18 के अनुसार स्थायीकृत है तो तीन मास का नोटिस देकर ऐसी परिलब्धियों पर जैसे संघ की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जायें, न्यूनीकृत श्रेणी में या अंशकालिक आधार पर पद धारण करने पर विकल्प दिया जायेगा। उपर्युक्त नोटिस में यह तथ्य भी इंगित किया जायेगा कि यदि वह उक्त नोटिस में दी हुई शर्तो के अनुसार किये गये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो जायेगी।

(ख) पद समाप्त किये जाने की स्थिति कर्मचारी की सेवायें, उसे एक या तीन मास का नोटिस देने के पश्चात जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी विनियम–18 के अनुसार स्थाईकृत है अथवा नहीं, समाप्त की जायेगी।

25. **बाह्य सेवायोजन के लिए आवेदन का अग्रसारण :–**

किसी कर्मचारी की एक कैलेण्डर वर्ष में पांच से अनाधिक की संख्या में बाहरी सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र का अग्रसारण या अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत द्वारा निर्गत किया जा सकता है।

26. **सेवा निवृत्ति**

संघ के किसी कर्मचारी की सेवा से अधिवर्षता का दिनांक तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगा।

27. **अनिवार्य सेवा निवृत्ति**

नियुक्ति प्राधिकारी की संस्तुति पर संघ निम्न दशा में किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्त कर सकती है,

(क) यदि कर्मचारी में मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो गयी हो।

(ख) यदि किसी कर्मचारी की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रतिवर्ष उसके कार्यो की समीक्षा करने पर अनुपयुक्त पाया जाये।

28. **स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति**

यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 15 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होना चाहता है तो उसे सेवा निवृत्त सम्बन्धी समस्त लाभ अनुमन्य होंगे।

अध्याय–3

सेवा का अभिलेख, ज्येष्ठता, प्रत्यावर्तन, छटनी, त्याग–पत्र तथा संवर्ग परिवर्तन :

29. **सेवा का अभिलेख**

संघ अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवाओं का निम्नलिखित अभिलेख रखेगीः

(क) प्रत्येक कर्मचारी की वैयक्तिक पत्रावली, जिसमें उसकी नियुक्ति के आदेश की प्रति, विनिमय संख्या 15 के अधीन अपेक्षित प्रमाण–पत्र, चेतावनियों अवकाश के आदेशों, पार करने या पार न करने के आदेशों, दण्डादेशों यदि कोई हो, की प्रतियाँ तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विषय होगें।

प्रतिबन्ध यह है कि संघ प्रबन्ध समिति की अनुज्ञा से अपने कर्मचारियों का सेवा अभिलेख किसी अन्य प्रपत्र में जिसे इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त समझा जाये, रख सकती है और जिसमें कर्मचारी की पदीय वृत्ति की प्रत्येक बात अभिलिखित हो और प्रत्येक प्रविष्टि प्रबन्ध निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे संघ द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, अनुप्रमाणित हो।

(ख) 1. चरित्र पंजी. (परिशिष्ट–2 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार)

2. चरित्र पंजी. सक्षम अधिकारी द्वारा रखी जायेगी।

3. (अ) चरित्र पंजी. की प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन सम्बन्धित वर्ष समाप्त होने से तीन माह के अन्दर अभिलिखित की जायेगी। यदि प्रविष्टि प्रतिकूल है तो उसे अभिलेखन अवधि के एक माह के अन्दर सबंधित कर्मचारी को प्राप्त अभिस्वीकृति के अन्तर्गत संसूचित किया जायेगा।

(ब) प्रतिकूल प्रविष्टि समूचित करने की तिथि के एक माह के अंदर कर्मचारी प्रत्यावेदन प्रेषित कर सकता है, जिसका निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन मास के अन्दर किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर्मचारी की चरित्र पंजी की प्रविष्टि केवल उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।

30. **ज्येष्ठता**

संघ के अधीन सेवा में किसी पदक्रम या पदों की श्रेणी में ज्येष्ठता उस पदक्रम या श्रेणी में कर्मचारियों की मौलिक पद पर नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और जहां दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जाये, वहाँ उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में हो, अवधारित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि :

(क) किसी पदक्रम या पदों की श्रेणी में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा चयन के समय अवधारित की गई हो।

(ख) किसी पदक्रम या पदों की श्रेणी में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी पदोन्नति से पूर्व उनके द्वारा मौलिक रूप से घृत पद पर उनकी ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ग) जहाँ किसी पदक्रम या पदों की श्रेणी में नियुक्ति अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः निम्न पदक्रम या पद से पदोन्नति द्वारा की जाये वहाँ दोनों स्रोतो से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्डों के अधीन तैयार की गयी ज्येष्ठता सूचियों से, बारी–बारी से, अभ्यर्थियों को लेकर अवधारित की जायेगी। प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गयी सूची के कर्मचारियों के नाम, प्रतिबन्धात्मक खण्ड (क) के अधीन तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में सम्मलित कर्मचारियों के नाम पहले रखे जायेगें।

टिप्पणी

(1) जहाँ दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों और नियुक्ति के आदेशों में कोई ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसमें किसी कर्मचारी की मौलिक रूप से भूतलक्षी रूप से नियुक्ति की गयी हो, संबंधित कर्मचारी की मौलिक पद पर नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा।

(2) यदि कोई मामला पूर्ववर्ती उप खण्डों या उसके प्रतिबन्धक खण्डों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन स्पष्टतः न आता हो और परिणाम स्वरूप किसी कर्मचारी या किन्हीं कर्मचारियों की श्रेणी की अन्य कर्मचारी या कर्मचारियों की किसी श्रेणी की तुलना से ज्येष्ठता या अवधारण करने के प्रबन्ध में कोई संदेह या विवाद हो तो मामला प्रबन्ध समिति को निदृष्टि किया जायेगा, जिसका विचार्थ विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी कर्मचारी की परस्पर वरिष्ठता पर जो इस सेवा विनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व संघ में पहले से अवधारित हो, खण्ड–1 के उपबन्धों के लागू होने से प्रभावित नहीं होंगे।

31. **प्रत्यावर्तन**

(क) पदोन्नति होने पर उच्चतर पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी को, पदोन्नति के दिनांक से 6 मास की अवधि के अन्दर यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसका कार्य तथा कार्य निर्वाहन संतोषजनक न समझा जाय, बिना नोटिस उस पद के प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(ख) यदि कर्मचारी की उक्त अवधि के दौरान उसका कार्य तथा कार्य संतोषजनक समझा जाय, उस पद पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्थायी किया जा सकेगा।

32. **छटनी**

(1) संघ प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकता है, यदि संघ का कार्य या तो कम हो गया हो या मितव्ययता करने के लिए सम्बद्ध पद या पदों को कम किया जाना हो, प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 के अधीन प्रतिकर अपेक्षित हो, वहाँ उसका भुगतान कर्मचारियों को किया जायेगा।

(2) छटनी करने में पदक्रम के कनिष्ठतम कर्मचारी की छटनी की नीति अपनायी जायेगी।

33. **त्याग–पत्र**

(1) संघ का कोई कर्मचारी विनिमय संख्या 20 के अधीन क्या उपबंधित नोटिस देकर जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नोटिस की अवधि से अभिमुक्ति न दे दी गयी हो, संघ की सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) प्रबन्ध निदेशक के विवेकानुसार नोटिस की अवधि की कर्मचारी के उपार्जित अवकाश खाते में जमा अवकाश के विरूद्ध घटोतरी की जा सकती है।

(3) यदि यह पाया जाये कि समिति का कोई अभिलेख, पुस्तिका या सम्पत्ति किसी कर्मचारी द्वारा रोक ली गयी है, तो उसका त्याग–पत्र स्वीकार किये जाने के बावजूद वह उसके लिये उत्तरदायी बना रहेगा।

34. **संवर्ग परिवर्तन**

कार्यहित में संघ किसी कर्मचारी के संवर्ग परिवर्तन के लिए सक्षम होगा जिसके लिए संबंधित कर्मचारी को कोई पूर्व सूचना देय नहीं होगी।

अध्याय–4

वेतन, भत्ते तथा वेतन वृद्धि

35. **कर्मचारियों का वेतन वही होगा जो**

(क) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रवृत्त हो,

(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा समय समय पर पुर्नरीक्षित किया जाये,

(ग) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियेां की संघ तथा उस प्राधिकारी के जहां से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो, उस बीच समस्त प्रतिनियुक्ति के निबंधनों और शर्तो के अनुसार वेतन तथा अन्य परिलब्धियां दी जायेगी।

36. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संघ के किसी कर्मचारी की सेवा प्रारम्भ होने के दिनांक से वेतन तथा भत्ते प्रोदभूत होंगे तथा उस मास के, जिससे सेवा की जाये, अनुवर्ती मास में देय होंगे।

(2) किसी कर्मचारी को नोटिस की अवधि का वेतन देय नहीं होगा, यदि वह नियम संख्या–20 में क्या उपबंधित सम्यक नोटिस दिये बिना अपनी सेवा छोड़ दे या बन्द कर दें, जब तक कि ऐसी नोटिस विनमय संख्या 33 (1) के अधीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा अभिव्यक्ति न कर दी गयी हो।

37. जैसे ही कोई कर्मचारी संघ की सेवा में नहीं रहेगा, वेतन उसी समय से प्रोदभूत नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो पदच्युत कर दिया गया जो या सेवा से हटा दिया गया हो या संघ की सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गयी हो, वेतन तथा स्थिति उसकी पदच्युत सेवा से हटाने, या मृत्यु के दिनांक से बन्द हो जायेगा।

टिप्पणी – मृत्यु की दिशा में मृत्यु के दिनांक के वेतन मृत्यु के समय विचार किये बिना यदि देय हो, देय होगा।

38. जब नियुक्ति प्राधिकारी या इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत व्यक्ति, शास्ति के रूप में किसी कर्मचारी के उच्चतर पद या पदक्रम से निम्न स्तर पद या पदक्रम पर प्रत्यावर्तन का आदेश दे, तो वह उसे या तो निम्नतर पद या पदक्रम के अधिकतम वेतनमान से अधिक या प्रत्यावर्तन के पूर्व अपने पद पर उसके द्वारा पाये गये वेतन की धनराशि से अधिक वेतन पाने की अनुमति नहीं देगा।

39. कोई कर्मचारी ऐसे पद का, जिसपर उसकी नियुक्ति हुई हो, वेतन, यदि कार्यभार दिनांक के पूर्वान्ह में ग्रहण करे तो उस दिनांक से जब वह अपने ग्रहण करे और यदि कार्यभार दिनांक से अपरान्ह में ग्रहण करें तो अनुवर्ती कार्य दिवस में पाना आरम्भ करेगा।

40. यदि किसी कर्मचारी का संघ में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण हो तो वह पुराने पद का कार्यभार सौंपने के दिनांक और नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के बीच डयूटी के किसी अन्तराल में पुराने या नये पद का वेतन जो भी कम हो, पायेगा।

41. बजट में प्राविधान होने पर प्रबन्ध समिति ऐसे पदों के लिये, जिसमें कर्तव्यों के निर्वाहन में विशेष उत्तरदायित्व तथा जोखिम अन्तग्रहित हो, समय–समय पर विशेष भत्ता निर्धारित कर सकता है।

42. विनियम संख्या – 41 के अभिविष्ट भत्ता केवल ऐसे कर्मचारी को देय होगा, जो वास्तव में उस समय शर्तो को पूरा करता हो और उन कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो जिसके लिये भत्ता अनुमन्य हो।

43. **उच्चतर पद पर वेतन का निर्धारण**

किसी उच्च पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किये जाने पर कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उस वेतन के अगले प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा जो निम्न पद के संबंध में उस प्रक्रम पर जिस पर ऐसा वेतन प्रोदभूत हो, उसके वेतन में काल्पनिक वृद्धि देकर आये। प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में कोई कर्मचारी उच्चतर पद के न्यूनतम वेतन से कम नहीं पायेगा।

(2) दो पदो पर नियुक्ति : नियुक्ति प्राधिकारी संघ के हित में अस्थायी व्यवस्था के रूप में किसी कर्मचारी को दो पदों को धारण करने या स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामले में उस कर्मचारी का वेतन पूर्ववर्ती उपखण्ड (1) के अनुसार उस उच्चतर पद को वेतन होगा, जिसका वह हकदार होगा और उसके अतिरिक्त उसके पुराने पद के वेतन का पांचवा भाग मिलेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह उपबन्ध लागू नहीं होगा, यदि :–

(क) कर्मचारी दो पदों को धारण करने के लिये लिखित आदेश द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त न किया गया हो,

(ख) दोनो पदों के कुल कार्य न सौंपे गयें हों, तथा

(ग) पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार दोहरी नियुक्ति की व्यवस्था तीन मास से अधिक हो।

44. **तकनीकी भत्ता**

किसी कर्मचारी को ऐसी तकनीकी या विशेष अर्हताये, जो संघ के कार्य संचालन को सुधारने में लाभप्रद सिद्ध हो, प्राप्त करने पर प्रबन्ध समिति के अनुप्रोदन से संघ द्वारा निर्धारित पद पर तकनीकी भत्ता/पाने की अनुमति दी जा सकती है।

45. **मंहगाई/प्रतिकर या महान भत्ता**

संघ के किसी कर्मचारी को ऐसी दरों से और ऐसी शर्तो के साथ जैसा कि उत्तर–प्रदेश शासन द्वारा यथा आशय के समय–समय पर निर्गत आदेश के अनुसार प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये, मंहगाई/प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दरें प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निहित की गई दरों से अधिक नहीं होगा।

46. **अन्य भत्ते**

(1) संघ द्वारा नियमावली के उपबन्धों और प्रबन्ध समिति द्वारा जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए अपने कर्मचारियों को कोई अन्य भत्ते या धन संबंधी रियायत दे सकती है।

(2) संघ प्रबन्ध निदेशक की अनुज्ञा से किसी कर्मचारी या किन्हीं कर्मचारी के वर्ग को उत्कृष्ट कार्य के लिये धन संबंधी प्रोत्साहन भी दे सकती है।

47. **वेतन वृद्धि**

(1) कर्मचारियों को दिये गये काल–वेतनमान में सामान्यता वार्षिक वेतनवृद्धि दी जायेगी।

(2) किसी कर्मचारी की दक्षता रोक पार करने की, जब वह देय हो जाये, अनुमति उसके वरिष्ठ अधिकारी से उसके कार्य तथा योग्यता संबंधी रिपोर्ट और पिछले तीन वर्ष की चरित्र पंजी की प्रविष्टियों पर विचार करने के पश्चात तथा नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति पर दी जायेगी।

(3) कोई कर्मचारी जिसे दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी गई हो, समुचित प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वेतनवृद्धि को दक्षता रोक पर रोक लिया गया हो, मामले पर प्रतिवर्ष पुर्नविलोकन किया जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे दक्षता रोक पार करने की अनुमति न दे दी जाये। दक्षता रोक पार करने की अनुमति देने वाला प्राधिकारी कर्मचारी के वेतन को भी उस प्रक्रम से अनधिक स्थिति पर निर्धारित करेगा जिस पर वह यदि उसे दक्षता रोक पर रोक न लिया गया होता, पहुँच गया होता।

प्रतिबन्ध यह है कि इस संबंध में कोई बकाया धनराशि नहीं दी जायेगी।

48. जब किसी पद का वेतनमान पुनरीक्षित किया जाये तो उस पद के वर्तमान पदधारी को अपने पुराने वेतन तथा वेतनमान में रहने या नया वेतनमान चुनने का विकल्प करने की अनुमति दी जायेगी और एक बार किया गया विकल्प, अन्तिम होगा।

अध्याय–5

49. **कार्य–ग्रहण समय और अवकाश**

(1) किसी कर्मचारी को पुराने पद पर कार्य करते समय किसी नये पद का, जिस पर उसकी नियुक्ति हुई हो, कार्यग्रहण करने या 90 दिनों से अधिक अवधि के उपार्जित अवकाश से लौटने पर किसी नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यग्रहण समय दिया जा सकता है।

(2) जब नये पद पर स्थानान्तरण में मुख्यालय का परिवर्तन न हो तो कर्मचारी को कार्यग्रहण समय नहीं दिया जायेगा।

(3) ऐसे मामलों में जहां स्थानान्तरण में मुख्यालय स्थान का परिर्वतन हो, छः दिन तैयारी के लिये तथा एक दिन यात्रा के लिये दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है यदि की जाने वाली यात्रा की दूरी 400 कि0मी0 से अधिक हो तो प्रत्येक अतिरिक्त 400 कि0मी0 या उसके भाग के लिये एक अतिरिक्त यात्रा दिवस की अनुमति दी जायेगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रकार अनुमन्य कार्यग्रहण समय उस कार्यालय द्वारा, वहां पर कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो, मनायी जा रही किसी छुट्टी के दिन समाप्त हो तो वह ऐसी छुट्टी के ठीक अगले दिन कार्यभार ग्रहण करेगा।

50. कार्यग्रहण समय किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और न उसका अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है। कर्मचारी को स्थानान्तरित करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी के विवेकानुसार उसे कम किया जा सकता है।

51. कोई कर्मचारी जो अनुमन्य कार्य ग्रहण समय की समाप्ति पर अपने पद का कार्य ग्रहण नहीं करता है, अधिक ठहरने के लिये दिये गये स्पष्टीकरण के असन्तोष जनक होने की दशा में अपने विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का भागी होगा।

52. **छुट्टी**

(1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(क) आकस्मिक अवकाश।

(ख) उपार्जित अवकाश।

(ग) असाधारण अवकाश।

(घ) चिकित्सा अवकाश।

(ङ) अध्ययन अवकाश।

(च) प्रसूति अवकाश।

(2) साधारणतः अवकाश पूर्वलिखित आवेदन पत्र पर स्वीकृत किया जायेगा।

53. **आकस्मिक अवकाश**

(1) किसी कर्मचारी को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिक से अधिक 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जायेगा। सामान्यतः किसी कर्मचारी को एक बार में 7 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जायेगा। उपयोग न किये गये आकस्मिक अवकाश उसी वर्ष के अन्त में व्यवगत हो जायेगा।

(2) आकस्मिक अवकाश आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है।

(3) रविवार या अन्य मान्यता प्राप्त छुटट्िया आकस्मिक अवकाश खाते में विकलित नहीं की जायेगी।

(4) यदि कर्मचारी कैलेण्डर वर्ष के मध्य संघ की सेवा में आये तो उसे अनुपातिक आकस्मिक अवकाश दिया जायेगा।

54. **उपार्जित अवकाश**

(1) प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश खाते में प्रति वर्ष दो किस्तों में अग्रिम के रूप में उपार्जित अवकाश जमा किया जायेगा। इस अनुसार अवकाश खाते में 01 जनवरी को 16 दिन एवं 01 जुलाई को 17 दिन का उपार्जित अवकाश जमा होगा। अर्द्धवर्ष की समाप्ति पर कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा अवकाश को इस शर्त के अनुसार अग्रनित किया जायेगा कि प्रत्येक अर्द्धवर्ष के आरम्भ में कर्मचारी द्वारा अवकाश संचित किये जाने की सीमा का उल्लंघन न हो।

(2) यदि कोई कर्मचारी प्रमाणिक/सैद्धान्तिक दिनांक के मध्य संघ की सेवा में आये तो उसके अवकाश खाते में प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 2.7 दिन की दर से अर्द्धवर्ष की समाप्ति तक अग्रिम में अवकाश जमा किया जायेगा। इस अनुसार अवकाश की गणना

में 0.5 एवं इससे ऊपर के भाग को 01 दिन माना जायेगा एवं 0.5 से निम्न भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(3) असाधारण/अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश उपार्जित नहीं किया जायेगा।

(4) उपार्चित अवकाश की अधिकतम अवधि जो संचय की जा सकती है, 240 दिन होगी। साधारणतया एक बार में बारह सप्ताह से अधिक उपार्जित अवकाश नहीं लिया जायेगा, किन्तु विशेष कारणों से, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा 180 दिन का उपार्जित अवकाश लेने की अनुमति दी जा सकती है।

(5) उपार्जित अवकाश के दौरान पड़ने वाले रविवार या अन्य मान्यता प्राप्त छुट्टिया उपार्जित अवकाश मानी जायेगी।

(6) रविवार या अन्य मान्यता प्राप्त छुट्टिया, अवकाश के पहले या/एवं पश्चात् में सम्मिलित की जा सकती है।

(7) उपार्जित अवकाश पर रहने वाला कोई कर्मचारी मूल वेतन एवं उसे अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, यदि कोई हो, के बराबर अवकाश वेतन पायेगा।

(8) यह प्रबन्ध निदेशक के विवेक पर निर्भर होगा कि कैलेन्डर वर्ष में एक बार किसी कर्मचारी द्वारा अभ्यर्थित उपार्जित अवकाश के बराबर के दिनों का वेतन (मूलवेतन, मंहगाई भत्ता) 30 दिन की सीमा तक दे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर्मचारी को कोई वेतन नहीं दिया जायेगा यदि उसके खाते में बचा अवकाश 30 दिन (अग्रिम के रूप में जमा अवकाश को छोड़कर) से कम हो।

55. **असाधारण अवकाश**

(1) किसी कर्मचारी को असाधारण अवकाश दिया जा सकता है जो सामान्यता एक अवसर पर 90 दिन और उसकी सेवा की सम्पूर्ण अवधि में बारह मास से अधिक नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि तीन वर्ष का असाधारण अवकाश ऐसे कर्मचारी को दिया जा सकता है जो ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसमें दीर्घ कालीन चिकित्सा अपेक्षित हो यथा, क्षय रोग, कैंसर रोग आदि, यदि उसके आवेदन पत्र के साथ संघ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये सक्षम समझे गये किसी चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र हो और कर्मचारी को असाधारण अवकाश दिये जाने के पूर्व उसने अपना समस्त उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश ले लिया हो।

(2) असाधारण अवकाश के दौरान कोई वेतन तथा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा ऐसे अवकाश की अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी।

56. **चिकित्सा अवकाश**

प्रत्येक कर्मचारी के चिकित्सा अवकाश खाते में प्रति वर्ष 01 जनवरी को 10 दिन का चिकित्सा अवकाश अग्रिम के रूप में जमा होगा। वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा अवकाश को अगले वर्ष में अग्रनीत किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी वर्ष के मध्य संघ की सेवा में आये तो उसके अवकाश खाते में प्रत्येक पूर्व महीने के लिए 0.83 की दर से वर्ष की समाप्ति तक अग्रिम में अवकाश जमा किया जायेगा। इस अनुसार अवकाश की गणना में 0.5 एवं इससे ऊपर के भाग को एक दिन माना जायेगा एवं 0.5 से निम्न भाग को छोड़ दिया जायेगा।

चिकित्सा अवकाश पर रहने वाला कर्मचारी औसत वेतन पायेगा।

57. **अध्ययन अवकाश**

(1) किसी कर्मचारी को वैज्ञानिक, प्राविधिक या तत्समान समस्याओं के अध्ययन के लिये या विशेष पाठ्यक्रम के अनुदेश प्राप्त करने के लिये अध्ययन अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि ऐसे अध्ययन या पाठ्यक्रम से संघ को निश्चित लाभ होगा।

(2) अध्ययन के प्रयोजनार्थ भारत में या बाहर उसके औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और यह बारह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(3) किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसकी सेवा की स्थिति संघ की सेवा में पाँच वर्ष से कम की हो या जिसने 55 वर्ष की आयु पार कर ली हो, अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) कोई कर्मचारी जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया हो, अध्ययन/पाठ्यक्रम का समस्त खर्च, जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा की दशा में मार्ग व्यय, रेल का किराया तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिये देय फीस भी है, स्वयं वहन करेगा।

(5) अध्ययन अवकाश के संयोजन में असाधारण अवकाश विनिमय संख्या–55 के आधीन विहित सीमा के भीतर लिया जा सकता है।

(6) अध्ययन की छुट्टी के आवेदन–पत्र पर विचार करते समय यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि क्या आवेदक उसके फलस्वरूप होने वाले व्यय को वहन करने की स्थिति में है।

(7) अध्ययन अवकाश के लिये आवेदन करने वाला कर्मचारी इस आशय के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा कि वह अपने कार्य पर लौटने के दिनांक से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक संघ की सेवा करने और इस अनुबन्ध का उल्लंघन करने की दशा में अध्ययन अवकाश के दौरान उसे दिये गये वेतन की धनराशि संघ को पुनः भुगतान करने का वचन देता है।

स्पष्टीकरण

पूर्ववर्ती उपखण्डों में दिये गये अध्ययन अवकाश के उपबन्ध रिजर्व बैंक आफ इण्डिया या किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारी संस्था या किसी राज्य प्राधीकरण द्वारा आयोजित किसी ऐसे सेवाकालीन प्रशिक्षण पर लागू नहीं होंगे, जिसमें कोई कर्मचारी अपने सेवायोजक द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाये, उस दशा में कर्मचारी कर्त्तव्यरत माना जायेगा और उसे साधारण दर पर यात्रा भत्ता दिया जायेगा किन्तु कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।

58. **प्रसूति अवकाश**

महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अपने महिला कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रसूति अवकाश के अनुरूप अनुमन्य होगा।

59. अवकाश स्वीकृति करने की शक्ति ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी में निहित होगी जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

60. (1) इस नियमावली के अधीन किसी अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

(2) प्रसूति अवकाश या चिकित्सा अवकाश की दशा में ऐसे अवकाश को स्वीकृत किये जाने के पूर्व समुचित चिकित्सा प्रमाण–पत्र मांगा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि 15 दिन से अनाधिक के चिकित्सा अवकाश की दशा में अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के विवेक से ऐसा प्रमाण–पत्र देने में अभिमुक्त किया जा सकता है।

(3) यदि सेवा की अनिवार्य आवश्यकता से ऐसा अपेक्षित हो तो चिकित्सा या प्रसूति अवकाश से भिन्न किसी प्रकार के अवकाश को अस्वीकार या प्रतिसंहरण किया जा सकता है तथा पहले से ही ऐसे अवकाश का उपयोग करने वाले कर्मचारी को ऐसे प्रतिसंहरण पर कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है। ऐशी दशा में वह साधारण दर पर यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

(4) ऐसे किसी कर्मचारी से, जिसकी चिकित्सा के आधार पर निरन्तर अवकाश एक मास से अधिक हो, सिविल सर्जन से एक चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने या अपने चिकित्सा परिचारक के चिकित्सा प्रमाण–पत्र को सिविल सर्जन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने को कहा जा सकता है। यदि कर्मचारी सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने या अपने चिकित्सा परिचारक के प्रमाण–पत्र को सिविल सर्जन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने में असफल होता है तो चिकित्सा के आधार पर कर्मचारी का

अवकाश अस्वीकार किया जा सकता है और ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थिति मानी जा सकती है।

61. संघ पर प्रयोज्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, किसी कर्मचारी के नामे अर्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य समस्त अवकाश उस दिनांक को व्ययगत हो जायेंगे जब वह संघ की सेवा में न रह जायें। कर्मचारी के नामे अर्जित अवकाश का भुगतान सेवा छोड़ने पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार किये जायेगें।

62. कोई कर्मचारी जब अवकाश पर हो, अपने अवकाश के आवेदन–पत्र में अपने अवकाश अवधि का पता लिखेगा और पूर्व में दिये गये पते में किसी परिवर्तन से उक्त प्राधिकारी को सूचित करेगा। अवकाश पर गया कोई कर्मचारी जब तक कि उसे अन्यथा प्रतिकूल अनुदेश न दिया गया हो, उस पद पर कार्य करने के लिये वापस लौटेगा, जिस पर वह अवकाश पर जाने से पूर्व था।

63. किसी ऐसे कर्मचारी से, जो चिकित्सा के आधार पर था, कार्य पुनः ग्रहण करने के पूर्व अपने चिकित्सा परिचारक से स्वास्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

64. कैलेण्डर वर्ष में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए घोषित छुट्टियाँ संघ के कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

अध्याय–6

आचरण और अनुशासन

65. जब तक कि नियुक्ति के आदेश में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कर्मचारी का सम्पूर्ण समय संघ के अधीन रहेगा और वह संघ के कार्य में ऐसी हैसियत से और ऐसी अवधि के दौरान तथा ऐसे स्थान पर सेवा करेगा जैसे उसे समय–समय पर निर्देश दिया जाये।

66. संघ का प्रत्येक कर्मचारी, अधिनियम, नियमों, विनियमों और उपविधियों के उपबन्धों तथा तद्धीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन करेगा।

67. कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को संघ के कारोबार संबंधी सूचना, जो उसे सेवायोजन के दौरान उसके कब्जे या जानकारी में आयी हो या जिसे उसने एकत्रित किया हो, प्रकट नहीं करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुज्ञा से केवल उतनी सूचना संसूचित कर सकता है जितनी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाद के निस्तारण या जांच करने, निरीक्षण करने, अन्वेषण करने या लेखा–परीक्षा करने में या जहाँ ऐसी सूचना किसी विधि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

68. प्रत्येक कर्मचारी को यह परिवचन देना होगा कि वह विनियम संख्या 67 में क्या निर्धारित गोपनीयता बनाये रखेगा और ऐसा न करने पर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

69. (1) प्रत्येक कर्मचारी संघ की सेवा ईमानदारी तथा निष्ठा से करेगा और संघ के हित की उन्नति के लिए अधिकतम प्रयास करेगा। वह अंशधारियों सदस्यों के साथ समस्त सव्यवहार में और संघ के साथ लोक व्यवहार में शिष्टता का व्यवहार करेगा और उन पर ध्यान देगा।

(2) किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त मादक पेयों या औषधियों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ का कोई भी कार्यवाही :

(क) जब तक कार्य पर हो ऐसे पेय या औषधि के सेवन के प्रभाव में न होगा, या

(ख) मत्तता की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा, या

(ग) ऐसे पेय या औषधि का अभ्यासतः प्रयोग नहीं करेगा।

(3) **संघ का कोई भी कर्मचारी :**

(क) संघ के भू गृहादि के भीतर उच्छखल या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा या बाजी नहीं लगायेगा अथवा अपदूषण नहीं करेगा या कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे संघ के कारबार में गड़बड़ी या अस्तव्यवस्तता उत्पन्न हो, या

(ख) संघ की संपत्ति को या संघ का कार्य करने वाले व्यक्तियों को जानबूझकर न तो क्षति पहुंचायेगा और न क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा या

(ग) किसी भी कर्मचारी को दूराचरण करने, लोप करने या कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए न तो प्रोत्साहित करेगा और न प्रेरित करेगा या

(घ) संघ में लिये गये ऋण या अग्रिम या अपने प्रभार या सुरक्षा के अधीन संघ की संपत्ति का दुरूपयोग नहीं करेगा, या

(ङ) संघ के प्रबन्ध निदेशक की अनुज्ञा के बिना संघ के भू गृहादि के भीतर कोई बैठक न तो आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा।

(च) किसी राजैनितक दल में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य होगा।

70. संघ का कोई भी कर्मचारी किसी राजनैतिक निर्वाचन में या उस समिति के सिवाय जिसका वह सदस्य है या विधितः निर्वाचित प्रतिनिधि है, किसी सहकारी समिति के किसी निर्वाचित पद से संबंधित किसी निर्वाचन में भाग नहीं लेगा।

71. कोई भी कर्मचारी संघ के कार्यकलाप के संबंध में (1) अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना यदि प्रश्नगत कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक है और (2) अन्य मामलों में प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना समाचार पत्र में कोई वक्तव्य नहीं देगा या समाचार पत्र अथवा पत्र पत्रिकाओं को कोई लेख प्रकाशित नहीं करायेगा या आकाशवाणी या दूरदर्शन से कोई वार्ता प्रसारित नहीं करायेगा। वह किन्हीं भी व्यक्तिगत शिकायतों को समाचार पत्र या ईश्तहार के माध्यम से प्रसारित नहीं करेगा।

72. कोई भी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भी बाहरी सेवायोजन या पद, चाहे वह वृत्तिभोगी हो या अवैतनिक, न स्वीकार करेगा, न उसके लिए याचना करेगा और न उसे पाने की चेष्ठा करेगा।

73. कोई भी कर्मचारी संघ के प्रबन्ध निदेशक की पूर्व अनुज्ञा के बिना अग्रेतर अध्ययन के लिए किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश नहीं लेगा। ऐसी अनुज्ञा केवल उपयुक्त मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि और पाठ्यक्रम के लिए तभी दी जायेगी, जब प्रबन्ध निदेशक को यह समाधान हो जाये कि इससे कर्मचारी के कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक पालन में बाधक न होगी। प्रतिबंध यह है कि किसी भी शैक्षणिक वर्ष में, एक बार में संघ के दस प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

74. कोई भी कर्मचारी किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति से जिसका संबंध संघ के साथ कोई लेन देन हो, कोई उपहार या पारितोषक की याचना नहीं करेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा।

75. कोई भी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कहीं भी अपने लिये या अन्य व्यक्तियों के अभिकर्ता के रूप में धन सम्बन्धी लाभ के लिये व्यक्तिगत रूप से कोई अन्य कार्य कलाप नहीं करेगा।

76. (1) कोई भी कर्मचारी प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, जो अवकाश या अनुमति के बिना अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है या अपने अवकाश से अधिक रूकता है सिवाय उन परिस्थितियों के जो उसके वश में न हो, जिसके लिए उसको संतोषजनक स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए, ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रूकने की अवधि के लिये वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, और अग्रेतर ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी जो उन परिस्थितियों में उस पर आरोपित की जाये।

77. कोई भी कर्मचारी, काम पर के सिवाय, अपनी तैनाती के मुख्यालय से उस अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जिसके अधीक्षण तथा नियन्त्रणाधीन वह कार्य करता हो, अनुपस्थित नहीं रहेगा।

78. प्रत्येक कर्मचारी कार्यालय में समय पर उपस्थित होगा और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा जिसे नित्य प्रबन्ध निदेशक या ऐसे अधिकारी के समक्ष, जो इस प्रयोजनार्थ प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत किया जायेगा।

79. कोई भी कर्मचारी स्टाक, प्रतिभूति बुलियन या किसी प्रकार की वस्तुओं का सट्टा नहीं करेगा।

80. कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी मामले में प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य से संसर्ग स्थापित नहीं करेगा और कोई अपील सिवाय जैसा कि इस नियमावली में उपबंधित है नहीं करेगा और अथवा व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन नहीं देगा। प्रतिबन्ध यह है कि यहाँ दी गयी किसी बात में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी कर्मचारी को अपनी सेवा से संबंधित कोई वैद्य अभ्यावेदन ऐसे प्राधिकारियों को जो उस पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम हो, देने से प्रतिषद्ध करती है।

81. कोई भी कर्मचारी संघ से सम्बद्ध किसी सहकारी समिति से या किसी अन्य कर्मचारी से धन उधार नहीं लेगा या किसी भी प्रकार अपने को उसके धन सम्बन्धी दायित्वाधीन नहीं करेगा।

(2) कोई भी संघ या संघ की ऋणी समिति से ऐसा संव्यवहार नहीं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को करने की अनुज्ञा देगा जिसमें उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके उल्झन में पड़ने या प्रभावित होने की संम्भावना हो।

स्पष्टीकरण – इस विनिमय के अधीन ''कुटुम्ब का तात्पर्य पत्नी/पति, पुत्र अथवा आश्रित (1) पुत्रियों, (2) भाईयों, (3) पिता–माता, (4) बहनों (5) पौत्री या पौत्रियों से होगा।

82. प्रत्येक कर्मचारी एकान्तरिक वर्ष के मार्च मास के अन्तिम पक्ष में, प्राधिकारी के समक्ष अपनी अस्तियाँ (Assets) प्रकट करेगा।

(2) कोई कर्मचारी जो ऋणी है, प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने ऋण की सूचना की स्थिति के संबंध में अपने हस्ताक्षर युक्त विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी में उन उपायो को इंगित करेगा जिन्हें वह अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए कर रहा है। ऐसे कर्मचारी के ऊपर जो ऋणी हो और उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है या अपने ऋण का समापन दिये गये युक्ति–युक्त समय जिसके अन्तर्गत बढ़ाया गया समय, यदि कोई हो, भी है, के भीतर करने में असमर्थ है या किसी दिवाला न्यायालय में परिताण के लिये आवेदन करता है, अनुशासनिक कार्यवाही, जो उसे सेवा से हटाये जाने तक हो सकती है, की जा सकेगी। स्पष्टीकरण – इस सेवा नियम के प्रयोजनार्थ कोई कर्मचारी यदि उसका कुल उधार उनको छोड़कर जो पूर्णतया सुरक्षित है उसके छः महीने के वेतन से अधिक है, ऋणी समझा जायेगा।

(3) ''युक्ति–युक्त समय'' वह अवधि होगी जो कर्मचारी के वित्तीय संसाधनों तथा उसकी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुये प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियत की जाय, ऐसी अवधि छः मास से कम तथा चौबीस मास से अधिक न होगी। इसके अतिरिक्त जो विशेष परिस्थितियों के अधीन अग्रेतर बारह मास तक बढ़ायी जा सकेगी।

(4) किसी कर्मचारी द्वारा अपनी भविष्य निधि से ली गयी प्रतिदेय अग्रिम की धनराशि या संघ या राज्य सरकार या बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अभिकरणों से भवन निर्माण/वाहन के लिये ली गयी अग्रिम की धनराशि इस वनियम के प्रयोजनार्थ ऋण नहीं समझी जायेगी।

83. संघ का कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में संघ की सम्पत्ति या उत्पाद के किसी नीलामी में कोई बोली नहीं लगायेगा।

84. संघ का कोई कर्मचारी जिसकी एक पत्नी/पति जीवित हो, दूसरा विवाह नहीं करेगा।

85. संघ का कोई कर्मचारी सिवाय जैसा कि अधिनियम या संघ के नियमों या उपविधियों के आधीन अनुदेय है, संघ या किसी अन्य समिति के कोई उधार लेन–देन न तो करेगा, न जारी रखेगा।

86. (1) ऋण अथवा किसी अपराधिक आरोप के संबंध में गिरफ्तार किया गया कोई कर्मचारी यदि गिरफ्तारी की अवधि 24 घंटे से ज्यादा है उसकी गिरफ्तारी के दिनांक से निलम्बित होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि वह जमानत या मुचलका पर छोड़ दिया जाता है तो उसे प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से उस समय तक जब तक की उसके विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित न कर दिया जाय, पुनः कार्यभार ग्रहण करने तथा उस पर कार्य करते रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उसके कार्य में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्रबन्ध निदेशक अथवा नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उसका उसके मूल कार्य पर बना रहना संघ के हित में असमीचीन अथवा प्रभाव डालने वाला हो।

(2) कोई कर्मचारी जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता समन्वित किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्ध दोष हो जाता है, पदच्युत कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण

''दोष सिद्धि'' का तात्पर्य कारावास, जुर्माना, अथवा दोनों प्रकार के दण्ड से है।

अध्याय–7
शास्ति, अनुशासनिक कार्यवाही और अपील

87. **शास्ति**

(1) किसी अन्य सेवा नियम में दिये गये उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कर्मचारी को जो अपने कर्तव्यों का कोई उलंघन करता है या अधिनियम की धारा 103 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है या इस सेवा नियमावली द्वारा प्रतिषिद्ध कोई कार्य करता है तो उसे निम्न शस्तियों में से किसी एक शास्ति द्वारा दण्डित किया जा सकेगा :–

(क) निन्दा करना।

(ख) वेतन वृद्धि रोकना।

(ग) वर्ग–4 के किसी कर्मचारी (चपरासी, चौकीदार आदि) पर जुमार्ना।

(घ) कर्मचारी के आचरण द्वारा संघ को होने वाली किसी धन सम्बंधी क्षति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिये वेतन या प्रतिभूति जमा से वसूली।

(ङ) कर्मचारी द्वारा मौलिक रूप से घृत पद या श्रेणी में अवनति।

(च) सेवा से हटाया जाना, या

(छ) सेवा से पद्च्युत,

(2) दण्ड के आदेश की प्रतिलिपि अनिर्वायतः संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी और कर्मचारी के सेवा अभिलेख में इस आशय की प्रविष्टि की जायेगी।

(3) निन्दा करने के अलावा कोई भी शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि कर्मचारी को कारण बताने की नोटिस न दे दी गयी हो और या तो वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर देने में असफल रहा हो अथवा उसका उत्तर दण्ड देने वाली अधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाया गया हो।

(4) (क) आरोपित कर्मचारी को समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपराध की गंभीरता के अनुसार दण्ड दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (1) के उपखण्ड (ङ), (च), या (छ) के अधीन कोई शास्ति अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आरोपित नहीं की जायेगी।

(ख) कोई कर्मचारी उसी प्राधिकारी से जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा जब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे प्राधिकार का प्रतिनिधायन ऐसे अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को लिखित रूप में पहले ही न कर दिया हो।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति वेतन वृद्धि रोकने का आदेश देते समय उस अवधि का जब तक के लिये वह रोकी गई है और इसका कि क्या उसमें भविष्य की वेतन वृद्धियां अथवा पदोन्नति स्थगित होगी, उल्लेख करेगा।

88. **अनुशासनिक कार्यवाहियाँ**

(1) किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही जांचकर्ता अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा।

(क) कर्मचारी को एक आरोप पत्र दिया जायेगा जिसमें वनिर्दिष्ट आरोपों और प्रत्येक आरोप के समर्थन में साक्ष्य का हवाला दिया गया होगा और उसके युक्ति युक्त समय के भीतर जो दस दिन से कम नही होगा, आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) किसी ऐसे कर्मचारी को अपने प्रतिवाद के लिये अपने व्यय पर साक्षियों को प्रस्तुत करने या साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर भी दिया जायेगा। और यदि वह ऐसा चाहे तो उसे व्यक्तिगत रूप में चुने जाने का अवसर भी दिया जायेगा।

(ग) यदि आरोप पत्र के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न हो या प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण असन्तोषजनक हो तो सक्षम प्राधिकारी उसे समययुक्त दण्ड दे सकता है।

(2) (क) यदि कोई कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर जिसके कारण किसी अपराधिक आरोप पर सिद्ध दोष हुआ है, पदच्युत किया जाता है अथवा हटाया जाता है या ,

(ख) यदि कर्मचारी फरार हो गया है और संघ को तीन मास से अधिक से उसके ठौर–ठिकानों का पता नहीं है, या

(ग) यदि कर्मचारी बिना पर्याप्त कारणों से जांचकर्ता अधिकारी से समक्ष जब उसे विनिर्दिष्टतः लिखित रूप से हाजिर होने के लिये बुलाया जाये, हाजिर होने से इन्कार करता है, अथवा हाजिर नहीं होता है, या

(घ) यदि उसे अन्यथा (जिन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें) संसूचित करना संभव नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही बिना किये या जारी रखे समुचित दण्ड दे सकता है।

(3) संघ द्वारा किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही निरीक्षण कर्ता अधिकारी अथवा संघ के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसके नियन्त्रणाधीन कर्मचारी कार्य कर रहा हो, इस आशय की रिपोर्ट दिये जाने पर की जायेगी।

(4) जांच–कर्ता अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत संघ के किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(5) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत त्रुटि करने वाले कर्मचारी की दशा में संघ का प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र की एक द्वितीय प्रति तैयार करेगा और उसे मूल सेवायोजक को भेजेगा जो यदि रिपोर्टकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बना दिया गया हो, संघ से वापस बुला लेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगा।

(6) उपरोक्त खण्ड (5) में निर्दिष्ट कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निलम्बनाधीन रखा जा सकता है।

(क) जबकि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि प्रथम दृष्टया मामला ऐसा है जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी के हटाये जाने, पद्च्युत किये जाने या पदावनत किये जाने की संभावना है।

(ख) जबकि उसके आचरण के संबंध में तुरन्त जांच करना आशयित या विचाराधीन हो और उसका अपने पद पर अग्रेतर बना रहना संघ के हित के अहितकर समझा जाये।

(ग) जबकि उसके विरूद्ध किसी ऐसे दण्ड अपराध की कोई शिकायत पुलिस के अन्वेषणाधीन हो जिसके लिये वह गिरफ्तार किया गया हो या भारतीय दण्ड संहिता, उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी विधि न्यायालय में विचारण हो रहा हो या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये गये हो, प्रतिबन्ध यह है कि यदि निलम्बन विनिमय 86 के खण्ड (1) के अनुसार हो तो वह बाध्यकर होगा।

(7) (क)निलम्बित कर्मचारी को, निलम्बन अवधि में वेतन का आधा और उसे मंहगाई तथा अन्य भत्ते, उ0 प्र0 शासन के इस प्रसंग में निमत्त आदेशों के अनुरूप होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई कर्मचारी जो इस सेवा विनियमावली के प्रवत्त होने के दिनांक को निलम्बनाधीन हो, वेतन का ऐसा भाग और ऐसे भत्ते प्राप्त करता रहेगा जिसके लिये उसे निलम्बन की अवधि में प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाह भत्ते का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी ने इस बात का प्रमाण–पत्र न दिया हो और निलम्बन का आदेश देने वाले प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि कर्मचारी निलम्बनाधीन अवधि के दौरान किसी अन्य सेवायोजन, कारोबार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगा था और उसके लिए कोई पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

(ख) यदि निलंबन की अवधि संबंधित कर्मचारी की किसी त्रुटि के बिना छः मास से आगे बढ़ायी जाय तो निर्वाह भत्ता उसके वेतन का 75 प्रतिशत तथा मंहगाई एंव अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के इस प्रसंग में निर्गत आदेशों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।

(ग) (1) जब कोई कर्मचारी बहाल किया जाये तो बहाली का आदेश देने के लिये सक्षम प्राधिकारी निलम्बन की अवधि के लिये दिये जाने वाला वेतन तथा भत्तों और उक्त अवधि कार्य पर व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी या नहीं के संबंध में सुस्पष्ट आदेश देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां बहाली का आदेश देने वाली प्राधिकारी की राय हो कि कर्मचारी पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया गया है या निलम्बन पूरी तौर से अनुचित था वहां कर्मचारी को पूरा वेतन तथा भत्ते जिसके लिए यदि वह निलम्बित न किया गया होता, हकदार होता, दिया जायेगा।

(2) ऐसे मामलों में जो पूर्ववर्ती उपखण्ड (1) के प्रतिबन्धात्मक दण्ड के अन्तर्गत नहीं आते है, कर्मचारी को वेतन तथा भत्तों का ऐसा अनुपात दिया जायेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी आदेश दें।

(घ) खण्ड (ग) (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आने वाले मामलों में निलम्बन की अवधि समस्त प्रयोजनों के लिये कार्य पर व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

(ङ) खण्ड (ग) (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में निलम्बन की अवधि कार्य पर व्यतीत की गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सुस्पष्टतः यह निर्देश न दे कि वह इस रूप में मानी जाये।

(च) निलम्बन आदेश भूतलक्षी दिनांक से प्रभावी नहीं होगा।

(छ) सामान्यतः निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी की छुट्टी नहीं स्वीकार की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में छुट्टी स्वीकृति करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

(ज) कोई कर्मचारी जिसके विरूद्ध या तो ऋण के लिये या किसी दाण्डिक आरोप के लिये उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई हो या जिसे निवारक निरोध के लिये किसी विधि के अधीन निरूद्ध किया गया हो, एवं इसकी अवधि 24 घण्टे से अधिक हो उस अवधि के लिये जिस अवधि के दौरान वह इस प्रकार अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है या कारावास में हो, निलम्बनाधीन समझा जायेगा और उसे ऐसी अवधि के लिये उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुमन्य निर्वाह भत्ते से भिन्न कोई वेतन तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा, जब तक कि यथास्थिति, या उसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही समाप्त न हो जाये या उसे निरोध से मुक्त न कर दिया जाय और उसे पुनः कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति न दे दी जाये।

(8) निलम्बन आदेश

(क) उस प्राधिकारी द्वारा जिसने ऐसा आदेश दिया हो, या

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहित किया जा सकता है यदि प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त कारण हो और जिन्हें प्रतिसंहरण के आदेश में अभिलिखित किया जायेगा।

(9) कोई भी कर्मचारी सामान्यतः छः मास से अधिक निलम्बनाधीन नहीं रहेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह शर्त ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ निलम्बन किसी अपराधिक आरोप या न्यायालय के निर्देश पर किया गया हो।

89. **<u>जाँच कार्यवाही</u>**

जब मामला पुलिस के अन्वेषणधीन या न्यायालय के समक्ष हो –
यदि संघ के किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई मामला

(1) पुलिस के अन्वेषणाधीन हो या

(2) न्यायिक जाँच या विचारण के लिए लम्बित हो,

तो संघ विभागीय जाँच संस्थित या उसे अग्रसर कर सकती है और त्रुटि करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध अनुसाशनिक कार्यवाही कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि (2) के अन्तर्गत आने वाले मामले में आरोप जिन पर विभागीय जाँच की जाय या अनुशासानिक कार्यवाही की जाय वे न हो जो न्यायालय के विचाराधीन हो।

90. **अपील**

विनियम 87 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (घ) के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेशों की अपील परिशिष्ट–3 में उल्लिखित प्राधिकारियों के समक्ष की जा सकेगी।

91. विनियम संख्या 87 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ङ) से (छ) के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेश, सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व सहमति के नहीं किये जायेंगे।

92. प्रत्येक अपील में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी :–

(क) वह शिष्ट और आदर पूर्ण भाषा में व्यक्त की जायेगी।

(ख) उसमें समस्त सारवान तथ्य और तर्क दिये जायेंगे और वह स्वतः पूर्ण होगी।

(ग) उसके साथ दोषारोपण आदेश की एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होगी।

(घ) उसमें वांछित अनुरोध विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ङ) यह शस्ति आरोपित करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर उचित माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील प्रबन्ध समिति को की जानी हो वहां वह यथा विधि हस्ताक्षरित तथा दिनांकित अपील के ज्ञापन की दो प्रतियों के साथ सीधे प्रस्तुत की जा सकती है।

93. उचित माध्यम से की गयी कोई अपील उस प्राधिकारी टिप्पणी के साथ, जिसके माध्यम से प्रस्तुत की जाये, अनुचित विलम्ब किये बिना अपील प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जायेगी।

94. इस सेवा विनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय कोई अपील अन्य प्राधिकारियों या व्यक्तियों को सम्बोधित अथवा पृष्ठांकित नहीं की जायेगी अथवा उस पर अन्य प्राधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा सिफारिस नहीं की जायेगी। इस नियम की कोई अवज्ञा तथा अपील प्राधिकारी को प्रभावित करने या पक्ष समर्थन करने को कोई प्रयास अनुशासन का उल्लंघन समझा जायेगा, जिससे अपील अस्वीकार की जा सकेगी तथा कर्मचारी पर अनुशासन भंग करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्याय–8

भविष्य निधि, उपदान, मानदेय और अग्रिम वेतन

95. **भविष्य निधि**

संघ अपने कर्मचारियों के लिये इम्पलाईज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट 1952 (एक्ट संख्या 19,1952) के अधीन बनाये गये उपबन्धों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

96. **उपादान**

(1) संघ अपने कर्मचारियों को सेवाओं के हर पूरे वर्ष के लिये (यदि वर्ष का भाग छः मास से कम है तो उसे छोड़ दिया जायेगा) 15 दिन के वेतन से अनाधिक के बराबर उपादान देगा, यदि उसने अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर ली हो या त्याग पत्र दे दिया हो या उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवा के लिये अक्षम घोषित कर दिया गया हो, या उसकी छटनी कर दी गयी हो अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि कर्मचारी ने यथा स्थिति सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र, अक्षमता या छटनी से पूर्व की अवधि तक लगातार सेवा की हो, जैसा कि उपादान अधिनियम में प्राविधानित है। मृत्यु हो जाने की दशा में उपादान राशि कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और यदि उसने नाम निर्दिष्ट न किया हो तो उसके विधिक वारिस को देय होगा।

(2) उपादान की ग्रहता के लिये कर्मचारी की न्यूनतम सेवा अवधि ड्यूटी अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप होगी।

(3) उपादान राशि की अधिकतम सीमा समय–समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप होगी।

97. **मानदेय**

प्रबन्ध निदेशक किसी कर्मचारी को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए मानदेय दे सकता है।

98. **अग्रिम वेतन**

किसी भी कर्मचारी को, सिवाय ऐसी शर्तों के आधीन और ऐसी सीमा तक जो संघ की उपविधियों या प्रबन्धक निदेशक के अनुमोदन से संघ द्वारा अंगीकृत ऐसे अग्रिम के विशेष नियमों द्वारा निर्धारित की जाये, कोई अग्रिम वेतन या वेतन के प्रति कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

99. **बोनस**

संघ द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस अधिनियम 1965 के अन्तर्गत बोनस भुगतान किया जायेगा।

अध्याय–9

वाद अपराधिक मामलें

100. (1) यदि संघ के किसी कर्मचारी के विरूद्ध उसके कर्तव्य के निर्वहन में प्रत्यक्षतः सम्बन्धित परिस्थितियों के फलस्वरूप कोई सिविल वाद या अपराधिक मामला दायर किया जाये और कर्मचारी संघ के व्यय पर मामले का प्रतिवाद किये जाने की प्रार्थना करे तो संघ की प्रबन्ध कमेटी ऐसी प्रार्थना पर विचार कर सकती है और संघ के व्यय पर मामले का प्रतिवाद करने की स्वीकृति दे सकती है।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त करते समय संघ अपने व्यय पर प्रतिवाद करने के कारण तथा ऐसी अन्य सूचना देगी जो संघ की प्रार्थना के निस्तारण के लिये प्रबन्ध समिति द्वारा अपेक्षित है।

स्पष्टीकरण

ऐसे कर्मचारियों के मामले जिन पर गबन, कपट, भ्रष्टता या नैतिक अधमता के आरोप लगाये गये हो, इस नियम के अन्तर्गत आने वाले मामले नहीं समझे जायेगें।

अध्याय–10

प्रकीर्ण

101. इस विनियमावली के उपबन्ध इन्डस्ट्रीयल एक्ट 1947, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1963 तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य श्रमविधि के किन्हीं उपबन्धों से, जो संघ में प्रयोग्य हो, अपनी असंगति सीमा तक अपवर्तनशील होगें।

102. **काम करते हुये मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती**

(1) संघ के किसी ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जो या तो अपनी नियुक्ति में स्थायी है या यदि अस्थायी है और न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर अवधि से अपना पद धारण किये हुए है इस सेवा नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात काम करते हुये मर जाता है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को जो पहले से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणधीन किसी निगम या उपक्रम में समायोजित नहीं है इस प्रयोजन के लिये आवेदन पत्र देने पर सम्भवतः संघ के आधीन उपयुक्त सेवायोजन प्रदान करने पर विचार किया जायेगा, बशर्ते ऐसा सदस्य पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें रखता हो और उस पर नियुक्ति के लिये अन्यथा उपयुक्त हो।

(2) इस नियम के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित किया जायेगा और उसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित ब्योरे दिये जायेंगे।

(क) संघ के मुख्यालय या उसकी इकाई का नाम जिसमें मृत कर्मचारी काम कर रहा था, मृत्यु के समय उसके द्वारा घृत पद और उसकी मृत्यु का दिनांक

(ख) मृत कर्मचारी के परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों के सम्बन्ध में नाम, आयु और विशेष रूप से विवाह, सेवायोजन और हैसियत से संबंधित अन्य ब्योरे।

(ग) उक्त सदस्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित ब्योरे।

(घ) आवेदक की शैक्षिक और अन्य अर्हताये, यदि कोई हो और जन्म का दिनांक (प्रमाण–पत्र सहित)

(ङ) विनमय–6 के उपबन्धों के होते हुये भी विनिमय के अधीन सेवायोजन चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु संघ के अधीन किसी पद पर उसकी नियुक्ति के पूर्व अठ्ठारह वर्ष की अवश्य होनी चाहिए।

(4) विनियम 10 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी प्रबन्ध समिति जिसको कि मामला नियुक्ति समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा, इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि वह चयन के प्रक्रियागत अपेक्षाओं जैसे चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा या साक्षात्कार से अभियुक्ति दे सके और अपना यह समाधान करने के पश्चात कि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के लिये दक्षता का न्यूनतम स्तर जिसकी उसमें आशा की जाती है, बनाये रखने में स्वतंत्र होगा, और यह कि विनियम 8 और 15 की अपेक्षाये पूरी हो जाती है अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अपना अनुमोदन देगा।

(5) जहाँ मृत कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य इस विनियम के अधीन सेवायोजन चाहते हों, वहां प्रबन्ध समिति मृत कर्मचारी के परिवार, विशेष कर उसकी विधवा और उसके अवयस्क सदस्यों के सम्पूर्ण हित को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय करेगा कि विनियम के उपबन्धों के अधीन किस सदस्य को सेवायोजित किया जाना चाहिये। इस विषय में प्रबन्ध समिति का निश्चय अन्तिम होगा।

टिप्पणी

इस नियमावली के प्रयाजनार्थ ''परिवार'' के अन्तर्गत मृत कर्मचारी की पत्नी/पति, पुत्र और अविवाहित या विधवा पुत्रियाँ होगी।

103. संस्था की वित्तीय स्थिति के अधीन संघ के कर्मचारियों के कल्याणनार्थ निम्नलिखित योजनायें लागू होगी।

(1) संघ के कर्मचारियों द्वारा पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक चार वर्ष के अन्तराल पर परिवार अवकाश यात्रा भत्ता भारत के किसी स्थान के लिए दिया जा सकता है। इस आशय की पृथक नियमावली बनाकर अथवा यात्रा भत्ता नियमावली में उपयुक्त संशोधन करके दिया जायेगा।

(2) कर्मचारियों की पांच वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वभवन हेतु भू–खण्ड क्रय करने/निर्मित करने, आवास विकास परिषद या अन्य किसी यथा प्रयोजन हेतु निर्बधत संगठन से भवन क्रय करने हेतु तत्समय प्रचलित वित्तीय श्रोतो से ऋण गारन्टी के रूप में दिया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि संघ द्वारा दी गयी गारन्टी की स्थिति में संबंधित भू–खण्ड/भवन को संघ के बन्धक रखा जाना होगा।

(3) परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को देय सुविधानुसार अवकाश तथा वैयक्तिक वेतन आदि की सुविधा होगी।